कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक फा 48 (42)सविरा / बैंक–2 / बो.पा. / 2007 / पार्ट–III   दिनांक 14.11.2018

आदेश

अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. से प्राप्त प्रस्ताव एवं राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 61 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की अवधि के लिए अधिकतम उधार सीमा में रूपये 1000,00 करोड की छूट निम्न शर्तो के अधीन (Subject to following conditions)एतदद्वारा छूट प्रदान की जाती है :–

1. वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित विकास कार्य योजना अन्तर्गत आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति करना।
2. एसएलआर व सीआरआर में कोई चूक नहीं होगी ।
3. गैर निष्पादित आस्तियों एवं अवधिपार ऋणों की वसूली की मासिक समीक्षा करना।
4. वर्ष 2018–19 के लिए आवंटित फसली ऋण के लक्ष्यानुरूप ही ऋण वितरण करना। वितरित फसली ऋण के अनुपात में 20 प्रतिशत ऋण अन्य योजनान्तर्गत ऋण वितरण करना।
5. गैर निष्पादित आस्तियों का स्तर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं होगा ।
6. संस्थापन व्यय निर्धारित सीमा अन्तर्गत रखना होगा।
7. तरल संसाधनों का विनियोजन भवन, वाहन, फर्नीचर इत्यादि क्रय करने में नहीं किया जावेगा।
8. स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रैन्थ से कार्मिकों की संख्या अधिक नहीं होगी।
9. वर्ष 2018–19 में 20 प्रतिशत नये सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण करना होगा।
10. सीआरएआर निर्धारित मापदण्डानुरूप रखना होगा।

उपरोक्त वर्णित शर्तो की अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा की गई पालना की अपेक्सा बैंक द्वारा अपने स्तर से मासिक समीक्षा की जाकर विभाग को भी प्रत्येक माह की तीन तारीख तक इस बारे में अवगत कराया जायेगा।

एस०

(संजय गर्ग)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)

क्रमांक फा 48 (42) सविरा / बैंक–2 / बो.पा. / 2007 / पार्ट–III / 1079-83   दिनांक 14.11.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर
2. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, जयपुर
3. प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अलवर ।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,भरतपुर खण्ड भरतपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

554
14.11.18

अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग)